न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 142/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गुमानराम पुत्र रूपाराम जाति राईका निवासी चण्डावल तहसील सोजत।		1. श्रवणराम 2. नेगाराम 3. पदमाराम पिसरान चुन्नीलाल जातियान चौकीदार निवासीगण चण्डावल तहसील सोजत। 4. बगदाराम पुत्र पोकरराम जाति बावरी निवासी चण्डावल तहसील सोजत। 5. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

01. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक : 28/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चण्डावल तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.0100 है0 किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1948 रकबा 5.3400 है0 किस्म बा0दो0 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 5.3500 है0 भूमि प्रार्थी व प्रार्थी की माता माडीदेवी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1986, 1986/1 की स्थित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का क्रमशः 355/11472 वॉ हिस्सा मौके पर बंटसुदा आया हुआ है अप्रार्थी संख्या 4 बगदाराम झगडालू एवं खुखार प्रवृति का व्यक्ति है, जो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का सहयोग कर मौके पर सीमांकन नहीं करवाने दे रहे है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि एवं प्रार्थी की कृषि भूमि के बीच आये हुये रास्ते को भी अप्रार्थीगण खुर्द बुर्द कर प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमांकन भी नहीं करने दे रहे है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। खसरा नम्बर 1947 व 1948 के पश्चिम दिशा में रास्ता खसरा नम्बर 1982 किस्म गै0मु0 रास्ता राज्य सरकार की भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो तरफ माठ आई हुई स्थित है जिस माठ को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बीच आये दिन मन मुटाव व वाद विवाद होता रहता है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.0100 है0 व खसरा नम्बर 1948 रकबा 5.3400 है0 है, लेकिन मौके पर उक्त कृषि भूमि के चारो दिशा के पड़ौसी अप्रार्थीगण, प्रार्थी की कृषि भूमि हो हड़पने हेतु प्रार्थी के खेत की माठ को अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में खिसकाते हुए अतिक्रमण करते हुए बीच की माठ को लेकर आपसी विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच धोरा पाली व माठो को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादग्रस्थ कृषि भूमि का सीमांकन करने हेतु पैमाईश करने एवं माठो की सही स्थिति में मुटाम (मुड्डा) लगवाकर हमेशा – हमेशा विवाद खत्म करने का निवेदन किया तो सहमत नहीं हुए। दिनांक 11.06.2024 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मौके पर पटवारी हल्का को बुला कर सीमांकन करवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करने लगे। प्रार्थी उक्त विवाद उत्पन्न से परेशान हो चुका है। इसलिए उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का पत्थरगड़ी के जरिये सीमाकंन किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है, यदि सीमांकन नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली की खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.0100 है0 किस्म गै0मु0 वेरा, खसरा नम्बर 1948 रकबा 5.3400 है0 किस्म बा0दो0 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 5.3500 है0 कृषि भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 5 तहसीलदार सोजत जबाब प्रार्थना पत्र पेश करना नहीं चाहने से जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नम्बर 1947, 1948 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 5.3500 का ईश्तदुआ की है।
है0 कृषि भूमि का बरूवे मौका, राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नाप चौक करके सीमांकन कर मुटाम लगवाया जावें तत्पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमवन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नम्बर 1947, 1948 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 5.3500 है0 की प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में सम्बंधित भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

:: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की 'खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली की खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.0100 है0 किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1948 रकबा 5.3400 है0 किस्म बा0दो0 कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 5.3500 है0 की कृषि प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौक करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में सम्बंधित भू0अ0 निरीक्षक पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)